श्री संतोष कुमार
अपर सत्र न्यायाधीष–प्रथम
सहरसा

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
–सह–
विशेष न्यायाधीश अनु.जाति/जनजाति(अत्याचार निवारण) अधि. सहरसा

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–602/2026
(Patarghat P.S. Case No. 74/2025)

रंजु देवी एवं 01 अन्य.....आवेदकगण
बनाम
बिहार सरकार .....विपक्षी

आवेदकगण के तरफ से :– श्री सुनील कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता
राज्य के तरफ से :– श्री अमरेंद्र कुमार, विद्वान विशेष लोक अभियोजक

17.06.2026 आवेदकगण/अभियुक्तगण 1. रंजु देवी 2. राम बिलास भगत की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। प्रस्तुत कांड पतरघट थाना कांड संख्या–74/2025 दिनांक 16.06.2025 अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 118(1), 117(2), 109, 351(2), 352, 76, 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं अंतर्गत धारा–3(1)(h)(r)(s)(wi) अनु.जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत दर्ज है।

अग्रिम जमानत आवेदन चालित करते हुए आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार सिंह ने निवेदन किया है कि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय में आवेदकगण की ओर से प्रथम है इसके पूर्व कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र अग्रिम अथवा नियमित श्रीमान के न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं की गयी है। आवेदकगण क्रमशः 1. रंजु देवी 2. राम बिलास भगत पर पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास नहीं है आवेदकगण बिल्कुल ही निर्दोष है एवं कोई अपराध नहीं किये हैं। पुलिस के द्वारा स्थानीय क्षेत्रीय नेता के प्रभाव में आकर अनुसंधान किया तथा केस को सत्य करा दिया है। पुलिस के द्वारा अनुसंधान के क्रम में आवेदकगण को 35(1)(2) के प्रावधान के तहत आवेदकगण को लाभ देकर मुक्त किया गया है। आवेदकगण को पुलिस से 35(1)(2) के लाभ मिलने के बाद कभी भी उसका दुरूपयोग नहीं किया है। आवेदकगण एक संम्भ्रांत परिवार के व्यक्ति हैं तथा पूर्व में कोई अपराधिक

श्री संतोष कुमार
अपर सत्र न्यायाधीष–प्रथम
सहरसा

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–602 / 2026
(Patarghat P.S. Case No. 74/2025)

लगातार...
17.06.2026

इतिहास नहीं है ऐसी परिस्थिति में पुलिस द्वारा दिये गये 35(1)(2) के लाभ को सम्पुष्ट किया जाना न्यायोचित है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

अभियोजन कहानी का सारांश है कि ''मैं फुलेन्द्र राम पिता स्वं0 फोकन राम साकिन बथनाहा, वार्ड नं0 05, गोलमा, थाना पतरघट, जिला सहरसा का निवासी हूँ दिनांक 10.06.2025 को समय लगभग 06:00 बजे शाम में मेरा पुत्र मिथुन कुमार मजदूरी का काम करता है उसने रामविलाश भगत, रेणू देवी, संतोष कुमार सभी साकिन बथनाहा, वार्ड नं0 05, गोलमा, थाना पतरघट, जिला सहरसा का निवासी हैं, के यहॉ खेत में दिन भर मकई का ठइेरा बांधने का काम किया था उसी मजदूरी का रूपया मांगने के लिये शाम में रामविलास भगत के यहॉ गया था उसी क्रम में रामविलाश भगत की पत्नी एवं पुत्र घर से निकल कर आया और बोला कि तुमको पहले के काम के लिए बोल रहे थे तुम काम नहीं किया जो रूपया नहीं देंगे उसके बाद में मेरा पुत्र ने बोला कि मैं गरीब आदमी हूँ मुझे खाने के लिये कुछ नहीं है मेरा पत्नी बच्चा भी मेरी मजदूरी पर निर्भर करता है, मुझ गरीब पर दया कीजिए मेरा रूपया दे दीजिए फिर उन्होंने गाली देते हुए बोला कि भाग चमरा चमार का क्या भैल्यू है दरवाजे पर से धक्का मारकर निकालने लगा। मेरा पुत्र फिर भी वहॉ से नहीं निकला तो सभी मिलकर उसे मारने लगा। लाठी, डंडा, रॅड से सिर फोर दिया। काफी खून बहने लगा मेरा पुत्र बेहोश जमीन पर गिरा हुआ था, मैंने उनको बचाने का कोशिश किया तो वह सभी मुझे मारने लगा उनका पुत्र संतोष कुमार ने मेरी पत्नी को अर्धनग्न कर दिया और जमीन पर लेटाकर गलत नीयत से उनके उपर वार करने लगा। मैंने किसी तरह से गाड़ी का इन्तजाम करवा कर अपने पुत्र को पतरघट हॉस्पिटल लाया जहॉ उनका

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–602/2026
(Patarghat P.S. Case No. 74/2025)

लगातार...
17.06.2026

प्राथमिकी उपचार हुआ। उनकी हालत नाजुक देख कर मेरे पुत्र को सहरसा सदर हॉस्पिटल रेफर कर दिया जहॉ उनका इलाज चल रहा है।''

उभय पक्ष को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं और सभी मिलकर सूचक के पुत्र मिथुन कुमार को लाठी, डंडा, रॅड से मारकर बेहोश कर दिया। सूचक के पुत्र के साथ साथ **"भाग चमरा चमार का क्या वैल्यू है"** कहकर गाली–गलौज करने तथा मारपीट करने के साथ–साथ अभद्र व्यवहार करने का स्पष्ट आरोप है। सूचक अनुसूचित जाति का सदस्य है। अनुसूचित जाति/जनजाति के धारा– 18 अनुसूचति जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत पोषणीय नहीं है। तदनुसार, आवेदकगण **1. रंजु देवी 2. राम बिलास भगत** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को अपोषणीयता के आधार पर **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश